झारखण्ड विधान सभा

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।
2. धारा–1 का संशोधन।
3. धारा–2 का संशोधन।
4. धारा–2 का उपधारा (1) का संशोधन।
5. धारा–10 का संशोधन।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

(झारखण्ड विधान सभा में पुरः स्थापित करने हेतु)

झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त करने हेतु ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ** :–

(1) इस अधिनियम का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015 होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा–1 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37** :–

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37) की धारा–1 के उपधारा (4) के वर्त्तमान प्रावधान को झारखण्ड राज्य में लागू करने के लिए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(4) यह –

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है, जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है, जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे;

परन्तु समुचित सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी, जो पचास से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है, जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जायें।"

3. <u>धारा–2 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37</u> :–

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड ''घ'' के उपरान्त नयी खण्ड (घ घ) का अनस्थापन –

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड–घ के उपरान्त नया खण्ड (घ घ) अन्तर्स्थापित की जायेगी।

(घ घ) ''किसी स्थापन का मूल क्रियाकलाप से अभिप्रेत है, स्थापन के मूल क्रियाकलाप के लिए आवश्यक या तात्विक कोई कार्य परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं हैं –

(1) 'स्वच्छता कार्य' जिसमें बुहारना, सफाई, झाड़ना तथा सभी प्रकार के अवशिष्टों का संग्रहण तथा निस्तार सम्मिलित है।

(2) सुरक्षा सेवा सहित पहरा एवं निगरानी का कार्य।

(3) जलपान एवं खान–पान सेवा।

(4) लादने एवं उतारने का कार्य।

(5) अस्पतालों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, आगंतुक विश्राम गृह, क्लबों का संचालन जहाँ वे किसी स्थापन के सहयोगी सेवा प्रकृति के हों।

(6) कुरियर सेवायें जो किसी स्थापन के सहयोगी सेवा प्रकृति के हों।

(7) असैनिक एवं अन्य निर्माण कार्य, अनुरक्षण सहित।

(8) उद्यानिकी तथा बगीचों का अनुरक्षण।

(9) गृह व्यवस्था तथा कपड़ा धुलाई सेवायें जहाँ वे स्थापन के सहयोगी सेवा प्रकृति के हों।

(10) परिवहन सेवायें, एम्बुलेन्स सेवा सहित।

(11) कोई भी अन्तरायिक प्रकृति का कार्य भले ही वह स्थापन का मूल क्रियाकलाप हो।

(12) कोई भी कार्य जो मूल क्रियाकलाप की अनुषंगी हो।

(13) निगमों के नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व।

4. <u>धारा–2 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37</u> :–

धारा–2 के उपधारा (1) के खण्ड (i) के उप खण्ड (ख) का संशोधन :–

धारा–2 की उपधारा–(1) के खण्ड (i) के उप कंडिका (क)(ख) में अभिव्यक्ति ''पाँच सौ रूपये मासिक से अधिक'' को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा–2 की उपधार

(1) में विहित मजदूरी से अधिक नहीं'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5 **<u>धारा–10 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37</u>** :–

उपधारा (1) तथा उपधारा (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''10(1) –

(1) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए, किसी स्थापन के 'मूल क्रियाकलाप' में ठेका मजदूर के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाता है।

बशर्ते कि प्रधान नियोजक, किसी 'मूल क्रियाकलाप' में ठेका मजदूर या ठेकेदार की सेवा ले सकेगा, यदि

(क) स्थापन के सामान्य कार्य परकता इस प्रकार के हैं, जो सामान्य तथा ठेकेदारों के द्वारा किये जाते हैं, या

(ख) क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं कि उन्हें दिन में कार्य के लिए निर्धारित घंटों या इससे अधिक अवधि के लिए जैसा भी हो, पूर्णकालिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती हो,

(ग) मूल क्रियाकलाप के कार्य के परिमाण में अचानक वृद्धि जिसे विहित समय–सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

(2) (क) सक्षम सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसको परामर्श देने हेतु कि किसी स्थापन में कोई क्रियाकलाप 'मूल क्रियाकलाप है या नहीं, 'विहित प्राधिकार' की नियुक्ति करेगी।

(ख) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थापन के लिए कोई क्रियाकलाप मूल क्रियाकलाप है अथवा नहीं तो, व्यथित पक्षकार उस प्रपत्र में तथा उस प्रकार से जैसा कि विहित किया जाय, सक्षम सरकार को निर्णय हेतु आवेदन देगा।

(ग) सक्षम सरकार स्वयं या उपधारा (ख) में विहित किसी व्यथित पक्षकार से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे प्रश्न को विहित प्राधिकार को निदेशित कर सकेगी जो उसके पास उपलब्ध सामग्री या ऐसी जाँच के उपरान्त जैसा वह उचित समझे प्रतिवेदन सक्षम सरकार को विहित समय–सीमा में अग्रसारित करेगा तथा इसके उपरान्त सक्षम सरकार विहित समय–सीमा में प्रश्न पर निर्णय लेगी।

———

यह विधेयक ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 68--50--18-1-2016